भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
औषध विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या *216
दिनांक 13 फरवरी, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा और अनुसंधान संस्थान

***216. श्री गोडम नागेशः**
श्री खगेन मुर्मुः

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी सात राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों (एनआईपीईआर) में अनुसंधान केन्द्र स्थापित किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त केन्द्रों की स्थापना के लिए अब तक कितनी धनराशि जारी की गई है;

(ग) अक्तूबर और दिसम्बर, 2025 के बीच 'फार्मा मेडटेक सेक्टर' में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने की योजना (पीआरआईपी) के अंतर्गत राज्य-वार और ओडिशा के क्योंझर, नबरंगपुर और मलकानगिरी सहित जिला-वार कितनी अनुसंधान परियोजनाओं को प्रारंभिक सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई है;

(घ) उक्त योजना के अंतर्गत दिसम्बर, 2025 तक उक्त जिलों सहित राज्य/जिला-वार कितनी प्राथमिकता/विशेष अनुसंधान परियोजनाओं को अधिक वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है; और

(ङ) उक्त योजना के अंतर्गत प्रारंभिक चरण की अनुसंधान परियोजनाओं के लिए राज्य-वार और जिला-वार कितने स्टार्टअप और एमएसएमई का पूर्ण रूप से वित्तपोषण किया गया है?

<u>उत्तर</u>

<u>रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री जगत प्रकाश नड्डा)</u>

(क) से (ङ) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

"राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान" के संबंध में श्री गोडम नागेश और श्री खगेन मुर्मु द्वारा पूछे जाने वाले दिनांक 13.02.2026 के लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या *216 के उत्तर के संबंध में उल्लिखित विवरण

(क) और (ख): जीं, हां। विभाग ने मेडटेक सेक्टर में अनुसंधान और नवाचार के संवर्धन की योजना (पीआरआईपी) के घटक-क के तहत सात नाईपरों में प्रत्येक में एक की दर से सात उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) स्थापित किए हैं। दिनांक 31.1.2026 तक इन केंद्रों की स्थापना के लिए कुल ₹183.46 करोड़ की राशि जारी की गई है।

(ग) से (ङ): पीआरआईपी योजना के घटक-ख के तहत, दिनांक 19.11.2025 की अंतिम तिथि तक उद्योग, स्टार्ट-अप और एमएसएमई की ओर से कुल 710 अनुसंधान परियोजनाएं प्राप्त हुईं, जिसमें प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की परियोजनाएं भी शामिल हैं जो पीआरआईपी योजना के तहत उच्चतर वित्तीय सहायता के लिए पात्र हैं। इस योजना के तहत वित्तीय सहायता के लिए अनुमोदन, जिसमें पूर्ण वित्त पोषण सहायता और पात्र परियोजनाओं को उच्चतर वित्त पोषण सहायता शामिल है, योजना दिशानिर्देशों के तहत यथानिर्धारित बहु-चरणीय मूल्यांकन प्रक्रिया के पश्चात् प्रदान किया जाता है। बिना किसी राज्य-वार वर्गीकरण के राष्ट्रव्यापी कॉल के माध्यम से प्रस्ताव आमंत्रित किए गए थे। परिणामस्वरूप, यह योजना उद्योग, स्टार्ट-अप, एमएसएमई या संस्थानों की ओर से अनुसंधान प्रस्तावों, जिनमें ओडिशा की ओर से प्रस्ताव भी शामिल हैं का राज्य और जिला-वार विवरण संकलित अथवा रखरखाव नहीं करती है।
